



सत्यमेव जयते

Court Case No - 296/23.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)  
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

**SUMMONS**

फाइल. सं. NCST-16011(MP)/79/2021-RO-Bhopal (ESDW)

सेवा में,

श्री प्रियंक मिश्रा,  
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी,  
जिला धार,  
कलेक्टर कार्यालय,  
धार - 454001, मध्य प्रदेश  
ई-मेल : dmdhar@nic.in

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलों का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक के समक्ष दिनांक 13.01.2023 को अपराह्न 12:00 बजे, आयोग मुख्यालय, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्वारा अपेक्षित है। आप राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा जांच के लिए सम्बंधित दस्तावेज अपने साथ लायें।

मामलों का सन्दर्भ:-

संदर्भ 1. तलावपाडा गांव की जमीन को किसानों को दिलाए जाने के सम्बंध में श्री छगन बारीया एवं अन्य, ग्राम तलावपाडा, तहसील सरदारपुर, जिला- धार, मध्य प्रदेश का दिनांक 23.03.2021 का अभ्यावेदन।

संदर्भ 2. आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 07.06.2021.

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत कारण के इस आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिए गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक 03, जनवरी, 2023 को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

मोहर



हस्ताक्षर

न्यायालय अधिकारी

Court Officer  
National Commission for Scheduled Tribes  
Government of India  
Lok Nayak, Bhawan, New Delhi-110003